[2024] 8 एस. सी. आर 662:2024 आई. एन. एस. सी 567

सुदीप चटर्जी

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2024 की दांडिक अपील संख्या 3210)

02 अगस्त, 2024

[प्रशांत कुमार मिश्रा और सी. टी. रविकुमार*[1], न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलकर्ता को अस्थायी अग्रिम जमानत प्रदान करते समय अत्यधिक कठोर शर्तें लगाकर विधि में त्रुटि की?

हेडनोट्स[+]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 438 – क्या उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलकर्ता को अस्थायी अग्रिम जमानत प्रदान करते समय अत्यधिक कठोर शर्तें लगाकर विधि में त्रुटि की:

अवधारित : अग्रिम जमानत प्रदान करने योग्य पाए जाने पर जमानत देते समय न्यायालयों को शर्तें आरोपित करते हुए अत्यंत सावधान रहना चाहिए – शर्तें विवेकपूर्ण ढंग से लगाई जानी चाहिए, विशेषकर तब जब तलाक की कार्यवाही में संलग्न दंपति, यद्यपि शिथिल रूप से, संयुक्त रूप से सुलह एवं पुनर्मिलन का प्रयास करने पर सहमत हों – जब दंपति अपने भावनात्मक मतभेदों को पाटने का प्रयास कर रहे हों, तब उनमें से किसी एक पर ऐसी अत्यधिक कठोर शर्त आरोपित करना न केवल जमानत-प्राप्तकर्ता बल्कि दोनों को गरिमापूर्ण जीवन से वंचित करेगा – जमानत प्रदान करते समय अनुपालन योग्य शर्तों की आवश्यकता, जो गरिमापूर्ण जीवन के मानवाधिकार को मान्यता देती हों तथा अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं अनुसंधान की निर्बाध प्रगति के उद्देश्य से, अंततः निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए हो – आक्षेपित आदेश में अपीलकर्ता को अस्थायी जमानत पर रिहा करने हेतु आरोपित शर्तें स्थिर नहीं रह सकतीं – जमानत प्रदान करने का आदेश पूर्ण रूप से

1 * लेखक

अनुमोदित किया जाता है तथा अपीलकर्ता की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा – "लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया" का अर्थ है "विधि किसी व्यक्ति को वह करने के लिए बाध्य नहीं करती जिसे वह संभवतः कर ही नहीं सकता" – अग्रिम जमानत पर अत्यधिक कठोर शर्त आरोपित करने की सीमा तक आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। [कंडिका 8, 9, 10]

जमानत – वैवाहिक विवाद – क्या अस्थायी जमानत प्रदान करते समय पति पर आरोपित शर्तें अंततः वैवाहिक विवाद से गुजर रहे दंपति को लाभान्वित करेंगी:

अवधारित : इस प्रकरण में जिस प्रकार की शर्त आरोपित की गई, जिसमें व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई कि वह एक शपथपत्र देकर यह विशिष्ट आश्वासन दे कि वह अन्य जीवनसाथी की समस्त शारीरिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ताकि वह गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके और अपीलकर्ता के परिवार के किसी सदस्य का हस्तक्षेप न हो, ऐसी शर्त को पूर्णतः असंभाव्य एवं अव्यवहार्य कहा जा सकता है – ऐसी शर्तें प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न करेंगी क्योंकि इससे एक जीवनसाथी दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है – वैवाहिक मामलों से संबंधित विषयों में शर्तें इस प्रकार आरोपित की जानी चाहिए कि जमानत-प्राप्तकर्ता तथा शिकायतकर्ता दोनों पुनः स्नेह एवं प्रेम को प्राप्त कर सकें और शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन की ओर लौट सकें। [कंडिका 7, 8, 9]

न्याय दृष्टान्त

श्री गुरबख्श सिंह सिब्बिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, ***[1980] 3 एस.सी.आर. 383 : (1980) 2 एस.सी.सी. 565;*** *परवेज नूरुद्दीन लोखंडवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य,* ***[2020] 11 एस.सी.आर. 117 : (2020) 10 एस.सी.सी. 77 – संदर्भित।***

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता 1973

मुख्य शब्दों की सूची

अग्रिम जमानत पर अत्यधिक कठोर शर्त; वैवाहिक विवाद; विधि किसी व्यक्ति को वह करने के लिए बाध्य नहीं करती जिसे वह संभवतः कर ही नहीं सकता.

प्रकरण से उत्पन्न

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2024 की दांडिक अपील संख्या 3210

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 30.08.2023 के निर्णय एवं आदेश से उद्भूत जो सी.आर.एल.एम. संख्या 57492/2023 में पारित हुआ

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

नितीश बांका, लक्ष्य मनचंदा, आदेश पंजाबी, सनी शर्मा, चेतना मौर्य, सुश्री किरीतिका सिंह, लोकेश बैमाड़, डॉ. राम किशोर चौधरी, चाँद कुरैशी, अधिवक्तागण – अपीलकर्ता की ओर से।

अंशुल नारायण, अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता, प्रेम प्रकाश, दिव्यांशु कुमार श्रीवास्तव, करण वर्मा, अश्विनी कुमार, अधिवक्तागण – उत्तरदाताओं की ओर से।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

सी.टी. रविकुमार, न्यायमूर्ति

अनुमति प्रदान की जाती है।

1. 'लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया' का अर्थ है 'विधि किसी व्यक्ति को वह करने के लिए बाध्य नहीं करती जिसे वह संभवतः कर ही नहीं सकता'। उक्त सूक्ति का पालन एक लोकोक्ति के रूप में तत्परता के साथ किया जाता रहा है। अग्रिम जमानत पर अत्यधिक कठोर शर्तें आरोपित करने की प्रथा की निंदा करते हुए इस न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों के बावजूद, बाध्यकारी न्यायिक दृष्टांत का समुचित ध्यान दिए बिना ऐसे आदेश पारित किए जाते देख हमें पीड़ा हुई है और इसी कारण हम उक्त सूक्ति का उल्लेख करने के लिए विवश हुए हैं।

2. वर्तमान मामला पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध संख्या 57492 / 2023 में दिनांक 30.08.2023 को पारित आदेश से उद्भूत हुआ है, जिसके द्वारा एवं जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज परिवाद वाद संख्या 1100/2021 में अस्थायी अग्रिम जमानत प्रदान की, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 498-ए तथा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा द्वितीय उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। द्वितीय

उत्तरदाता ने प्रति शपथपत्र दायर कर आक्षेपित आदेश में आरोपित शर्तों में हस्तक्षेप की प्रार्थना का विरोध किया। राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने द्वितीय उत्तरदाता की ओर से उठाए गए मत एवं तर्कों का समर्थन किया।

4. परिवाद वाद संख्या 1100 *2021, जो इस कार्यवाही में परिशिष्ट पी-1 के रूप में प्रस्तुत है, यह प्रकट करता है कि दंपति अर्थात् अपीलकर्ता एवं द्वितीय उत्तरदाता के मध्य अविश्वास एवं असामंजस्य के कारण विवाद उत्पन्न हुए और तत्पश्चात वैवाहिक विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हुई। वास्तव में, अपीलकर्ता ने अपने विवाह के विच्छेद हेतु विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भागलपुर के समक्ष याचिका दायर की थी। परिवाद वाद संख्या 1100/* 2021 द्वितीय उत्तरदाता-पत्नी द्वारा उपर्युक्त अपराधों के संपादन का आरोप लगाते हुए अपीलकर्ता के विरुद्ध दायर किया गया है। पूर्व में, उक्त परिवाद वाद के संबंध में, अपीलकर्ता ने कटिहार के सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। दिनांक 24.05.2023 के आदेश द्वारा उसके निरस्त किए जाने पर, उपर्युक्त अग्रिम जमानत का आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो आक्षेपित आदेश में परिणत हुआ। आक्षेपित आदेश के वे प्रासंगिक अनुच्छेद, जिन्होंने हमें प्रारंभिक टिप्पणियाँ करने के लिए विवश किया, इस प्रकार हैं:-

> *"6. पक्षकारों की इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए, दोनों पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक संयुक्त शपथपत्र दायर करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि पक्षकार साथ रहने पर सहमत हो गए हैं, तथा याचिकाकर्ता उक्त संयुक्त शपथपत्र में यह विशिष्ट कथन देगा कि वह परिवादिनी की समस्त शारीरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व ग्रहण करता है, ताकि वह याचिकाकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य के हस्तक्षेप के बिना गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके।*
>
> *7. यदि ऐसा शपथपत्र चार सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो उपर्युक्त नामित याचिकाकर्ता को, उसकी गिरफ्तारी अथवा आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण की स्थिति में, परिवाद वाद संख्या 1100/2021 के संबंध में, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार की संतुष्टि के अधीन, रुपये 10,000/- (दस हजार) के जमानत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने*

पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(2) के अधीन आरोपित शर्तों के अधीन, अस्थायी जमानत पर रिहा किया जाए।

*8. यह स्पष्ट किया जाता है कि **अस्थायी जमानत** इस आदेश के पारित होने की तिथि से चार सप्ताह तक प्रभावी रहेगी, जिससे उसे तलाक वाद की वापसी के आदेश सहित संयुक्त शपथपत्र दायर करने का अवसर प्राप्त हो सके।"*

5. उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों का परीक्षण करने से पूर्व, हम इस संदर्भ में इस न्यायालय के कुछ प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करना उपयुक्त समझते हैं। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने श्री गुरबख्श सिंह सिब्बिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य[2] में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

"26. श्री तारकुंडे की इस दलील में हमें पर्याप्त बल प्रतीत होता है कि जमानत से इंकार करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के समान है, अतः न्यायालय को धारा 438 के दायरे पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध झुकाव रखना चाहिए, विशेषकर तब जब उस धारा के शब्दों में स्वयं विधायिका द्वारा ऐसे कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किए गए हैं। धारा 438 एक प्रक्रिया संबंधी उपबंध है, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसे निर्दोषता की धारणा का लाभ प्राप्त है, क्योंकि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की तिथि तक वह उस अपराध में दोषसिद्ध नहीं हुआ है, जिसके संबंध में वह जमानत चाहता है। धारा 438 में निहित न होने वाले प्रतिबंधों एवं शर्तों का अत्यधिक समावेश उसके उपबंधों को संवैधानिक दृष्टि से असुरक्षित बना सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अविवेकपूर्ण प्रतिबंधों के अनुपालन पर निर्भर नहीं बनाया जा सकता। धारा 438 में निहित हितकारी उपबंध को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, न कि त्याग दिया जाना चाहिए। मनेका गांधी बनाम भारत संघ [(1978) 1 एस.सी.सी. 248] के निर्णय के पश्चात इस विषय में कोई संदेह शेष नहीं रहता कि संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करने हेतु स्थापित विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं उचित होनी चाहिए। विधायिका द्वारा जिस रूप में धारा 438 की परिकल्पना की गई है, वह इस आधार पर किसी अपवाद के लिए खुली नहीं है कि वह अन्यायपूर्ण या अनुचित प्रक्रिया निर्धारित करती है। हमें

---

2 1980 3 एससीआर 383 : (1980) 2 एससीसी 565

हर स्थिति में इस बात से बचना चाहिए कि उसमें ऐसे शब्द जो उसमें विद्यमान नहीं हैं, पढ़कर उसे संवैधानिक चुनौती के लिए खुला बना दें।"

(जोर दिया गया)

6. *परवेज नूरुद्दीन लोखंडवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य* [3]*में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-*

"...गरिमापूर्ण जीवन के मानवाधिकार तथा संवैधानिक संरक्षणों की रक्षा, ऐसी शर्तों के आरोपण से निरर्थक नहीं हो जानी चाहिए जो अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने, अनुसंधान की समुचित प्रगति तथा अंततः निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने की आवश्यकता की अपेक्षा अनुपातहीन हों। न्यायालय द्वारा आरोपित की जाने वाली शर्तों का उद्देश्य से उचित अनुपातिक संबंध होना चाहिए। प्रत्येक मामले में इस प्रकरण में मांगी गई अनुमति के प्रदान किए जाने से उत्पन्न होने वाले जोखिम की प्रकृति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।"

7. हम यह आवश्यक नहीं समझते कि इस विषय पर प्राधिकारों की बहुलता द्वारा इस निर्णय को बोझिल बनाया जाए, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दं.प्र.सं.') की धारा 438 के अधीन जमानत याचना स्वीकार करने के मामलों में इस न्यायालय का सतत एवं सुसंगत दृष्टिकोण यह रहा है कि सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार कर यह मत बना लेने के पश्चात कि जमानत प्रदान की जा सकती है, ऐसी शर्तें आरोपित नहीं की जानी चाहिए जो जमानत प्राप्तकर्ता के लिए उनका पालन करना असंभव अथवा अव्यवहारिक बना दें। जैसा कि इस न्यायालय ने *परवेज नूरुद्दीन के* मामले (उपर्युक्त) में सूचित किया है, अग्रिम जमानत प्रदान करते समय शर्तें आरोपित करने का अंतिम उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा इस प्रकार अंततः निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करना और अनुसंधान की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करना है।

8. वैवाहिक असामंजस्य के परिणामस्वरूप उत्पन्न मामलों में, जहाँ अत्यंत कठोर शर्तें आरोपित करने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ सामने आई हैं, हम पुनः यह दृष्टिकोण दोहराते हैं कि जब न्यायालय यह मत बना ले कि अग्रिम जमानत प्रदान की जा सकती है, तब जमानत देते समय शर्तें आरोपित करने में अत्यंत सावधानी बरती जानी चाहिए। यह विशेष रूप से सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए, जब संबंधित दंपति, जो तलाक

---

3 [2020] 11 एससीआर 117 : (2020) 10 एससीसी 77

की कार्यवाही में वादरत हैं, यद्यपि शिथिल रूप से, परंतु संयुक्त रूप से सुलह कर पुनः साथ रहने का प्रयास करने पर सहमत हुए हों। आक्षेपित आदेश स्वयं यह प्रकट करता है कि जो पक्षकार अलग होने की स्थिति में थे, उन्होंने पुनर्विचार कर मतभेद समाप्त करने और पुनर्मिलन के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की तथा अपीलकर्ता ने भी तलाक वाद वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि एक युवक या युवती अपने माता-पिता, भाई-बहनों तथा अन्य संबंधियों से बंधा रहता है और ऐसे पारिवारिक संबंध केवल वैवाहिक संबंध के कारण विच्छेदित नहीं किए जा सकते; विवाह से उत्पन्न संबंधों के साथ-साथ रक्त-संबंधों को भी समान सौहार्द्र के साथ आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। दोनों परिवारों के समर्थन के बिना वैवाहिक संबंध फल-फूल नहीं सकते, अपितु नष्ट हो सकते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इस मामले में जिस प्रकार की शर्तें आरोपित की गई हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को ऐसा शपथपत्र देने के लिए बाध्य किया गया है जिसमें वह यह विशिष्ट आश्वासन दे कि वह अपने जीवनसाथी की समस्त शारीरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ताकि वह अपीलकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य के हस्तक्षेप के बिना गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, उसे पूर्णतः असंभाव्य एवं अव्यवहारिक शर्त ही कहा जा सकता है। संभव है कि द्वितीय उत्तरदाता ऐसी शर्त का दुरुपयोग न करे, किंतु ऐसी *पूर्ण छूट* प्रदान करना वस्तुतः एक पक्ष को दूसरे पर प्रभुत्वशाली बना देना है, जो किसी भी प्रकार से पारिवारिक जीवन में सौम्य स्थिति उत्पन्न करने का उत्प्रेरक नहीं हो सकता। इसके विपरीत, ऐसी शर्तें प्रतिकूल प्रभाव ही उत्पन्न करेंगी। यह निर्विवाद है कि वैवाहिक विवाद के पश्चात पुनर्मिलन तभी संभव है जब पक्षकारों को ऐसी अनुकूल परिस्थिति प्रदान की जाए जिससे वे परस्पर सम्मान, प्रेम और स्नेह को पुनः स्थापित कर सकें। निस्संदेह, यह शर्त कि एक पक्ष दूसरे की समस्त शारीरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन दे, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकती। इससे दंपति में से एक को असुरक्षित और दूसरे को अहंकारी बना देने की संभावना है। जब दंपति अपने भावनात्मक मतभेदों को पाटने का प्रयास कर रहे हों, तब उनमें से एक पर ऐसी कठोर शर्त आरोपित करना न केवल जमानत प्राप्तकर्ता बल्कि दोनों को गरिमापूर्ण जीवन से वंचित कर सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त शर्तों के साथ अपीलकर्ता को केवल अस्थायी जमानत प्रदान की गई थी। संक्षेप में, हम जमानत प्रदान करते समय ऐसी शर्तें लगाने की आवश्यकता पर बल देते हैं जिनका पालन

किया जा सके, तथा जो गरिमापूर्ण जीवन के मानवाधिकार को मान्यता देती हों और अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा अनुसंधान की प्रक्रिया को निर्बाध रूप से संचालित करने के उद्देश्य से अंततः निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करें। वैवाहिक मामलों से संबंधित प्रकरणों में शर्तें इस प्रकार आरोपित की जानी चाहिए कि जमानत प्राप्तकर्ता तथा शिकायतकर्ता, दोनों, खोए हुए प्रेम और स्नेह को पुनः प्राप्त कर शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन की ओर लौट सकें। वर्तमान मामले में, पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से साथ रहने की इच्छा एवं तत्परता व्यक्त की है और इस संबंध में अपीलकर्ता-पति ने तलाक वाद वापस लेने की इच्छा भी व्यक्त की है।

9. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में हम यह धारित करते हैं कि आक्षेपित आदेश की कंडिका 6 में उल्लिखित वे शर्तें, जिनके अधीन अपीलकर्ता को अस्थायी जमानत पर रिहा किया जाना था, स्थिर नहीं रह सकतीं, और अतः वह शर्त कि अपीलकर्ता शपथपत्र के माध्यम से यह आश्वासन देगा कि वह समस्त शारीरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, अपस्त की जाती है। तथापि, इसे इस रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह आदेश दोनों पक्षों को उनके वैवाहिक दायित्वों एवं कर्तव्यों से मुक्त करता है, और हम आशा एवं विश्वास करते हैं कि दंपति अपने पारिवारिक जीवन की पुनर्स्थापना के लिए प्रयासरत रहेंगे।

10. जमानत प्रदान करने वाला आदेश अब पूर्ण एवं अंतिम किया जाता है और अपीलकर्ता, उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में जमानतदार संबंधी निर्धारित शर्तों तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(2) के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुपालन की बाध्यता के अधीन, जमानत पर रिहा किया जाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह आदेश लंबित परिवाद वाद के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा। आक्षेपित आदेश उपर्युक्त सीमा तक अपास्त किया जाता है और तदनुसार, अपील का निस्तारण किया जाता है।

11. यदि कोई लंबित आवेदन हो, तो उनका निस्तारण किया जाता है।

वाद का परिणाम: अपील निस्तारित किया गया ।

हेडनोट्स तैयार किया गया: गौरव उपाध्याय, मानद सहायक संपादक

(*सत्यापित किया गया* : शादान फरासत, अधिवक्ता)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।